न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 68 / 2021

1 भगवान सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी चुड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुभाष पुत्र शिशपाल जाति जाट।
2 गोपाल सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत।
3 श्रवण सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासीगण चुड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।
5 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चुड़ी चतरपुरा जरिये मैनेजिंग डाईरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चुड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट 8.4.24

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झुंझुनू उनवानी सुभाष बनाम भगवान वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 34 / 2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महीपाल सिंह कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 8-4-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धारा 251ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1092/126 रकबा 0.8000 हैक्टेयर ग्राम चुड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुंझुनू में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 132 ग्राम चुडी चतरपुरा से फटकर खसरा नम्बर 129 की भूमि के पूर्वी तरफ से चलकर पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उतरी तरफ चलकर खसरा नम्बर 128 ग्राम चुड़ी चतरपुरा में प्रवेश कर इसकी पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे चलकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 1092/126 के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने हेतु आवागमन हेतु 15 फिट रास्ते की मांग की है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कही भी प्लीड नही किया कि ग्राम चुड़ी चतरपुरा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 128 में कितनी रकबा भूमि है तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 3 की हक हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 जिस जगह से रास्ता खसरा नम्बर 128 में कायम करना चाहता है वह भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की है। खसरा नम्बर 128 का मौके पर अपीलाट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 ने बाहमी बंटवारा किस प्रकार कर रखा है। इसकी पुष्टि नही होती है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 128 जो रेस्पोडेंट संख्या 1 के खसरा नम्बर 129 के सटकर था। विचारण न्यायालय ने डी.एल.सी. के आधार पर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का मय तहसीलदार झुंझुनू द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 में नजरी नक्शा बनाया गया। जिसमें खसरा नम्बर 1092/126 की कृषि भूमि के नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 186 से सटकर है जिसको मार्क E से F द्वारा दर्शाया गया है जिसकी दूरी 133 मीटर है जो सुगम एवं नजदीकी रास्ता है। जिसका विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नही किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अत अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1092/126 रकबा 0.8000 हैक्टेयर ग्राम चुड़ी चतरपुरा तहसील व जिला झुंझुनू में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 132 ग्राम चुडी चतरपुरा से फटकर खसरा नम्बर 129 की भूमि के पूर्वी तरफ से चलकर पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उतर की तरफ चलकर खसरा नम्बर 128 ग्राम चुड़ी चतरपुरा में प्रवेश कर पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे चलकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 1092/126 के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करता है। रेस्पोडेन्ट के पास अन्य कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में भू–अभिलेख निरिक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 का अवलोकन किया गया। इस मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा खेत खसरा नम्बर 1092/126 के लिये खसरा नम्बर 128, 129 में से होते हुए गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 132 तक रास्ता चाहा गया है। नजरी नक्शे के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसार चाहे गये रास्ते की दूरी 262 मीटर होती है जबकि नजरी नक्शे के अनुसार आवेदक के खेत खसरा नम्बर 1092/126 के पश्चिम में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 186 से रास्ता दिये जाने पर गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 187 तक ई से एफ 133 मीटर की दूरी होती है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में सुविधा अनुसार रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से निकटतम रास्ता ई से एफ 133 मीटर प्रमाणित होता है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर, मौका रिपोर्ट की धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में विवेचन कर, गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर